

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1666/अ-82/भू-अर्जन/2022-23/2022

कोण्डागांव, दिनांक 15/12/2022

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव-शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16	01	0.098 हे०	कोण्डागांव-शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में स्थित कोकोनट प्लांट से होते हुए ग्राम-भीरागांव को जोड़ने हेतु निर्मित मार्ग के 0.098 हेक्टेयर भूमि मार्ग में आने वाले भूमि हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21/12/2022 को समय 11.00 बजे स्थान शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 कोण्डागांव पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	कोण्डागांव-शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में स्थित कोकोनट प्लांट से होते हुए ग्राम-भीरागांव को जोड़ने हेतु निर्मित मार्ग के 0.098 हेक्टेयर भूमि मार्ग में आने वाले भूमि हेतु
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	01
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ 0.098 हेक्टेयर
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	-
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	प्रस्तावित पहुंच मार्ग निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने-जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


(दीपक सोनी)
कलेक्टर

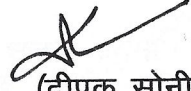
जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक/4667/अ-82/भू-अर्जन/2022-23/2022
प्रतिलिपि:-

कोण्डागांव, दिनांक 15/12/2022

1. सचिव, छठगोशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को उपलब्ध करावें तथा अधिसूचना का नगरपालिका के सूचना पटल पर चस्पा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाइट एवं जिला के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
6. तहसीलदार कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय जनपद पंचायत-कोण्डागांव, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।
7. सामाजिक समाघात अध्ययन दल के समस्त सदस्य..... को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।


(दीपक सोनी)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

FAX-07786-242260

Email cmokondagaon.2010@rediffmail.com

क्रमांक / 2475 / न.पा. / लो.नि.वि. / 2022

कोण्डागांव दिनांक 08.09.2022

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(भू-अर्जन शाखा)
जिला- कोण्डागांव, छ0ग0

विषय:-

कोण्डागांव- शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में स्थित कोकोनट प्लांट से होते हुए ग्राम- भीरागांव को जोड़ने हेतु निर्मित मार्ग के 0.0998 हेक्टेयर भूमि अर्जन के संबंध में।

संदर्भ:-

1. मंत्रालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ0ग0 शासन के नियुक्ति आदेश क्रमांक/एफ- 10-249/2022/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2022

---:00:---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार श्री अनुज सिंह राठौर, कोण्डागांव के द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में कोकोनट प्लांट जाने वाले मार्ग पर निर्मित सड़क अपने स्वयं की निजी भूमि पर निर्मित होना बताया गया है जिस हेतु संबंधित के द्वारा इस कार्यालय से मुवावजा की मांग की जा रही है। अतएव संदर्भित आदेश के परिपेक्ष्य में शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में कोकोनट प्लांट जाने वाले रास्ते का सीमांकन दिनांक- 19.07.2022 को आवेदक, वार्ड वासियों, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र से संबंधित पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों के समक्ष किया गया है जिसका खसरा नंबर-924/1क/2 रकबा 0.814 हेक्टेयर में से अनुज राठौर की हक की भूमि है जिसमें कुल लंबाई 115 मीटर एवं चौड़ाई- 08.50 मीटर (नाली व रोड सहित) कुल क्षेत्रफल(115 x 8.50mtr)- 977.50 वर्गमीटर (0.098 हेक्टेयर) आवेदक के भूमि पर विगत 25 से 30 वर्ष पूर्व पगडण्डी सड़क पर सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जो सड़क वर्तमान में वार्ड-16 शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड एवं केन्द्रीय कोकोनट प्लांट बोर्ड से होते हुए ग्राम- भीरागांव को जोड़ता है।

आवेदक अथवा उनके परिवार के संबंधियों के द्वारा उक्त अवधि में अपने स्वयं की भूमि के पगडण्डी सड़क पर सीसी रोड निर्माण के दौरान किसी प्रकार की मुवावजा की मांग नहीं की गई थी जिस हेतु उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में वर्तमान में आवेदक के द्वारा पूर्व में निर्मित सड़क, जो कि उनके स्वयं के निजी भूमि में निर्मित होने कारण मुवावजा हेतु प्रकरण प्रस्तुत की गई है जिस हेतु सीमांकन उपरांत शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में स्थित कोकोनट प्लांट से होते हुए ग्राम- भीरागांव को जोड़ने हेतु निर्मित मार्ग पर कुल रकबा 0.098 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव मूलतः तीन प्रतियों में आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न-

1. सीमांकन की छायाप्रति
2. नक्शा-खसरा, बी-1 की कॉपी
3. पंचनामा की कॉपी

4308
09/09/22

भू-अर्जन
कलेक्टर
जिला-कोण्डागांव
08.09.2022

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव
जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)